

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

दिनांक
उपक्रम

किस्म मुकदमा..... नं..... सन्.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इजिस्ट्रियल्स जज	गवर्नर व तारीख अहकाम जो हुकम हुकम की तारीख में जारी हुए
9/2/24	<p>पत्रावली पेशा वकील वादीगण उपर प्रस्तावित बंधारा रिपोर्ट अनुसार वाद अनिम डिक्री किमै जाने को अर्कन आदेशिका पर किया गया। अतः तहसीलदार डिप्टी से प्राप्त प्रस्तावित बंधारा रिपोर्टनुसार स्वाता संख्या → 156 ख.नं. 637, 638, रकबा → 2.04 2.14 639, 640, 641, 635/1 कुल कित 0.15 2.04 3.03 0.07 6 कुल रकबा → 11.07 बीघा, देवीलाल, लाखा, उदा, पांचू पि. नन्दा कौम मीणा सा. देहु खाते. राहुन सह. भूमि विकास बैंक मु. वि. क. के खाते व हिस्से में रहेगी। इसी प्रकार भूमि स्वाता नं. 156. ख.नं. → 617, 618, 619, 620, 622, रकबा → 1.00 1.15 1.01 1.09 0.06 623, 635/2 कुल कित 7 कुल रकबा 5.02 0.14 11.07 बीघा भूमि हीरर, रामचन्द्र पि. नन्दा कौम मीणा सा. देहु खाते. राहुन हीरर का हिस्सा कॉरपोरेशन बैंक शाखा नैन्सा रोड बून्दी मु. वि. क. के खाते व हिस्से में रहेगी। इसी प्रकार भूमि स्वाता संख्या → 156 ख.नं. → 621, 624, 630 रकबा → 1.12 4.09 2.02 → P.T.O →</p>	

आपति नही
हो सकती
दिनांक
दिनांक
9.2.24

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---------------	-----------------------------------	---

$\frac{631}{1.16}$, $\frac{632}{0.19}$, $\frac{635/2}{0.07}$, $\frac{636}{0.01}$ कुल किया

11 कुल रकबा 11.07 बीघा भूमि फूलचन्द,
पुत्रलाल पि. सुखा, भूरी, फूला बर्ड पुत्रिमा सुखा
धापूबर्ड बैरा सुखा डि. 5/18. ओमप्रकाश
पि. भवन्लाल कैलाशी, जसोदा, अणदी पुत्रिमा
भवन्लाल, मोदुनी बर्ड पति भवन्लाल
डि. 1/18 शक्ति भवन्लाल के वारिसन का
डिस्सा बरौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा
पैच की जावरी मु. बि. क. के खाते व डिस्से
में रहेगी।

इसी प्रकार खाता सं. 156
सं. नं. 616 रकबा 0.02 गै. मु. चौड़
मुताबिक जमाबन्दीनुसार जासलाली खाते
व डिस्से में रहेगा।

उक्तानुसार प्रस्तावित बरौदा
रिपोर्ट अनुसार वाद अन्तिम डिक्री
किया जाता है। नमशा ट्रेस व बरौदा
उपलब्ध निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा।
निर्णय की पालना में नियमानुसार दस्तावेज
पेश करने पर डिक्री आदेश जारी है।
पत्रावली फॉरम नुसार की जाकर
बाद तकमील नम्बर से कम होकर
दाखिल दफतर है। निर्णय शरै
इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
द्विण्डोली (बून्दी)